

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८१]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त १४, १९६९/श्रावण २३, १८९१

No. 281]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 1969/SRAVANA 23, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August 1969

S.O. 3302.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1952, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Rules, 1969.

2. Amendment of rule 19.—In rule 19 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1952, in clause (a) of sub-rule (4), after the words "other physical infirmity", the words "or illiteracy or any other cause" shall be inserted

[No. F. 7(12)/69-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय**(विधायी विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1969

सां. आ. 3303.—राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1952 में पुनः संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाने है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम**—ये नियम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

2 **नियम 19 का संशोधन**—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1952 के नियम 19 के उप-नियम (4) के खण्ड (क) में अन्य शारीरिक अशक्तता शब्दों के साथ “या निरक्षरता या कोई अन्य कारण” शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।

[सं. फा. 7(12)/69-वि. II]

नं० डी० पी० नम्बरिंगाद, संयुक्त सचिव।